संख्या-664/नौ-5-2016-120बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतरिख(बाराबंकी)/बिसण्डा(बाँदा)/घिरोर(मैनपुरी) एवं करनावल(मेरठ)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानीय नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त 05 निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 30 जून, 2016 तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा -

(लाख रू. में)

क्रम सं०	निकाय/जनपद का नाम	नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	नगर निगम, वाराणसी	4335/नौ-5-14-145बजट/2014 दिनांक 01.10.2014	37.48
	नगर निगम, वाराणसी	138/नौ-5-15-1बजट/2014 दिनांक 14.01.2015	101.29
2	नगर पंचायत, सतरिख-बाराबंकी	38/2015/1392/नौ-5-2015-73बजट/2014 दिनांक 27.02.2015	20.00
3	नगर पंचायत, बिसण्डा-बाँदा	113/2015-2119/नौ-5-2015-73बजट/2014 दिनांक 30.03.2015	24.84
4	नगर पंचायत, घिरोर-मैनपुरी	113/2015-2119/नौ-5-2015-73बजट/2014 दिनांक 30.03.2015	27.80
5	नगर पंचायत, बरनावल-मेरठ	6693/नौ-5-2015-151बजट/2013-7 दिनांक 09.12.2013	25.00
	नगर पंचायत, बरनावल-मेरठ	6351/नौ-5-2014-73बजट/2014 दिनांक 11.12.2014	6.40

2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-664(1)/नौ-5-2016-120बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, वाराणसी/फैजाबाद/चित्रकूट/आगरा/मेरठ।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी/बाराबंकी/बांदा/मैनपुरी/मेरठ।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी/बाराबंकी/बांदा/मैनपुरी/मेरठ।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. महापौर/अध्यक्ष, नगर निगम, वाराणसी/नगर पंचायत, सतरिख(बाराबंकी)/बिसण्डा (बाँदा)/घिरोर (मैनपुरी) एवं करनावल(मेरठ)।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।